

भाग- II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7	परियोजना/स्कीम का स्थान	
(I)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(II)	जिला	सोनभद्र
(III)	वन प्रभाग	रेनुकूट
(IV)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	14.5603 हे0
(V)	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन
(VI)	हरियाली का घनत्व	0.8
(VII)	प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ आर एल, एफ आर एल-2 मीटर पर परिगणना और एफ आर एल 4 मीटर भी संलग्न किए जाए)	सूची संलग्न है।
(VIII)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	संवेदनशील नहीं है।
(XI)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	वन सीमा के अन्तर्गत।
(X)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	नहीं।
(XI)	क्या क्षेत्र में वनरपति और प्राणिजगत की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां/तो सत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं।
(XII)	क्या सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दे।	नहीं। (मनमोहन मिश्र) प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा (पैकेज संख्या- यू0पी0 67144) प्रस्तावित मार्ग आर0एस0रोड(सिधहवा) से जोगेन्द्रा मार्ग में प्रभावित लम्बाई 20.150 कि0मी0 क्षेत्रफल 14.5603 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं प्रभावित 758 वृक्षों के पातन की अनुमति की मांग न्यूनतम है तथा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
(I)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी, भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार	संलग्न है।
(II)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवकमित वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	संलग्न है।
(III)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	संलग्न है।
(IV)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	रु० 19,68,116.00 (मु० उन्नीस लाख अड़सठ हजार एक सौ सोलह मात्र)
(V)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	संलग्न है।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (XI, XII) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।  (मनमोहन मिश्र) प्रभागीय वनाधिकारी, रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट-सोनभद्र
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	
(I)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	6788.00 वर्ग कि.मी. (678800 हे०)
(II)	जिले का वन क्षेत्र	3782.86 वर्ग कि.मी. (378286 हे०)
(III)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	29 मामले 2965.7451 हे.
(IV)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	$2206.00 + 133.2994 = 2339.2994$ हे०

(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	2206.00 हे.
(ख)	वनेतर भूमि पर	133.2994 हे.
(V)	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
(क)	वन भूमि पर	2206.00 हे.
(ख)	वनेतर भूमि पर	133.2994 हे.
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा (पैकेज संख्या- यू0पी0 67144) प्रस्तावित मार्ग आर0एस0रोड(सिधहवा) से जोगेन्द्रा मार्ग में प्रभावित लम्बाई 20.150 कि0मी0 क्षेत्रफल 14.5603 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं प्रभावित 758 वृक्षों के पातन की अनुमति की माँग न्यूनतम है तथा अन्य कोई विकल्प नहीं है । इस मार्ग के निर्माण हो जाने से आस-पास के ग्रामीणों को आने-जाने में काफी सुविधा होगी ।

दिनांक:- 15-12-2021
स्थान:- रेनुकूट

क्षेत्रीय वन अधिकारी
अनपरा रेंज
वन प्रभाग रेनुकूट

हस्ताक्षर (मनमोहन मिश्र)
नाम प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र